छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 322 एवं 323/2009</u>

1. श्री उत्तम कुमार देवांगन, – अपीलार्थी
जनता–216, जनता कालोनी, गुढ़ियारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
छ0ग0 शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 30 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री उत्तम कुमार देवांगन द्वारा अपील प्रकरण कमांक–322/2009 में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष दिनांक 27.11.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन उनके द्वारा जानकारी देने के लोक शिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित किया गया। आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.01.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील के बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.03.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रकरण कमांक–323/2009 में अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष दिनांक 16.09.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.10.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील के बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.03.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में पक्षकार एक ही है और तर्क भी समान प्रस्तुत किये गये थे, अतः दोनों अपील प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किये जा रहे हैं।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने इन दोनों अपील प्रकरणों में अपने अपील के साथ काफी पूर्व पत्रों की प्रतियॉ प्रस्तुत की है और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी शिक्षाकर्मी संघ का कोई पदाधिकारी है तथा वे कुछ बिन्दुओं के बारे में शासन से स्पष्ट जानकारी चाहते हैं। जन सूचना अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने पूर्व में तो प्रश्नात्मक जानकारी होने से देने से इंकार किया था, बाद में उन्होंने संचालक, लोक शिक्षण तथा जन सूचना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय को आवेदन हस्तांतरित किये थे। वहॉ से भी अपीलार्थी को कुछ जानकारी दी गई है। अपीलार्थी के आवेदन में प्रश्नात्मक बिन्दु तो है, किन्तु साथ ही संबंधित आदेश/नियम की प्रति भी चाही है, जो जानकारी दिया जाना संभव है तथा दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जानकारी दी गई है, किन्तु उनका कहना है कि कुछ बिन्दुओं पर पंचायत एवं शिक्षा विभाग से विरोधाभाषी जानकारी मिली है और यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी स्तर की शालाओं पर स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में से किस विभाग का नियंत्रण है। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने यह बताया कि मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19.01.1996 द्वारा ग्राम पंचायत स्थित समस्त शालाओं को पंचायत को सौंपा गया है और मध्यप्रदेश शासन से जानकारी प्राप्त कर अपीलार्थी को दी गई है। अपीलार्थी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद क्या इन आदेशों में कोई परिवर्तन किया गया है और वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अतः इस संबंध में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को बुलाकर स्वयं सुनवाई करें और अपीलार्थी को उनके विभाग में उपलब्ध चाही गई जानकारी से संबंधित समस्त जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे। साथ ही शेष बिन्दुओं पर उन्हें स्पष्ट जानकारी भी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे। इस संबंध में दोनों विभागों के सचिवों द्वारा परस्पर परामर्श करके और आवेदक द्वारा दिये गये आवेदनों का गहन अध्ययन करके जो भी जानकारी देना शेष रहा हो, वह उन्हें स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति बताते हुए 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान कराया जावे। प्रकरण में उक्त परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com